ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू नीतियाँ व उनका प्रभाव

*** डॉ. एस. के. ठाकुर, ** दर्शना सोनी**

*** डॉ. एस. के. ठाकुर,** प्राध्यापक, महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल। (E-mail Id: dr.skt21@gmail.com)

**** दर्शना सोनी,** शोधार्थी, अनुसंधान केंद्र – महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल। (E-mail Id: darshana2971@gmail.com)

सारांश

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हमेशा से ही चुनौती का विषय रहा है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण व निवारण के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओ एवं नीतियों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बोर्ड की नीतियों से वर्तमान में औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगी है। प्रदूषणकारी उद्योगो की सतत निगरानी हेतु जनवरी 2016 से पर्यावरण निगरानी केंद्र की स्थापना की गई है। स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओ के नियमित संचालन एवं आवश्यकतानुसार उन्नयन हेतु निगरानी केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण तेजी से बढ़ रहा है अतः इस बढ़ते औद्योगीकरण से पर्यावरण को दुष्प्रभाव से बचाने हेतु जो नीतियाँ बनाई गई है, उनका अध्ययन करना वर्तमान में प्रासंगिक है।

शब्द कुंजी : औद्योगिक, प्रदूषण, बोर्ड, पर्यावरण, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

आज के वैश्वीकृत युग में प्रौद्योगिकी और उद्योग मानव के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं लेकिन दूसरी तरफ ये उद्योग मानव अस्तित्व के लिये खतरनाक साबित हुए हैं। उद्योगों द्वारा निष्कासित विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट व्यक्तियों के लिये विशेषकर आस पास के

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

इलाके के लोगों के लिये बेहद हानिकारक है। उद्योगों द्वारा निर्गमित हानिकारक रासायनिक कचरा नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो कि मानव जीवन के लिये बहुत हानिकारक है। इन उद्योगों से निकला हुआ धुआँ भी प्रदूषण को बढ़ाता है तथा मनुष्यों में साँस की बीमारियों का कारण बन रहा है। यह प्रदूषण न केवल मानव जीवन को बल्कि जानवरों व पेड़–पौधों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

जहाँ तक मध्यप्रदेश की बात है, म.प्र. में पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अधिनियम के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिये एक बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसे म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम दिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

1 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड द्वारा लागू की गई नीतियों का अध्ययन करना।

2 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू की गई नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन परिकल्पना :–

1 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त नीतियाँ व उपाय अपनाए जा रहे हैं।

2 बोर्ड इन उपायों द्वारा औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण करने में सफल हुआ है।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन में विवरणात्मक अनुसन्धान विधि का प्रयोग किया गया है तथा जानकारी एवं तथ्य द्वितीयक स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन व वेबसाइट से प्राप्त किये गए हैं।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति :

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्त्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विष्लेषण कार्य किया जाता है। प्रदेष में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्त्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लियं निर्देश दिये जाते है। इसके अन्तर्गत उद्योंगों को जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम उपकरण लगाया जाना आवश्यक है।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	वृह्द,मध्यम एवं लधु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	16728
2(अ)	उद्योगों की संस्थान, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये है।	16728
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/सुधार कार्य किया गया है।	256

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	वृह्द,मध्यम एवं लधु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	16864
2(अ)	उद्योगों की संस्थान, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये है।	16864
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/सुधार कार्य किया गया है।	552

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

प्रदेश में स्थापित उद्योगों की कुल संख्या 17134 हैं, जिसमें वृहद श्रेणी के 596 मध्यम श्रेणी के 1381 तथा लघु श्रेणी के 15157 उद्योग शामिल है। उद्योगें की श्रेणी वर्गीकरण के अनुसार लाल श्रेणी में 11691 नारंगी श्रेणी में 2670 एवं हरी श्रेणी मे 2773 उद्योग हैं।

उद्योगों की स्थापना, सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँः

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमें के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों मे विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग, जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है, उनकी स्थापना/ क्षमता विस्तार के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है। जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होनें वाली निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानको तंक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते है।

उद्योगों को सम्मति नवीनीकरण :

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है । सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योंगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 10 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्यागों की सम्मतियों का नवीनीकरण 05 वर्ष तक एक साथ किये जाने का प्रावधान है।

पर्यावरण प्रभाव आँकलन रिपोर्ट :

उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के आँकलन हेतु ई. आई.ए. नोटिफिकेशन सन् 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आँकलन प्रतिवेदन तैयार किये जाते है, जिनकी प्रति बोर्ड में जमा कराई जाती है।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

वृक्षारोपणः

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्तो का समावेश किया जाता है।

पर्यावरण विवरण :

पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत् उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे–कच्चे पदार्थो की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपना संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं।

जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन :

नई–नई वैज्ञानिक खोज एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत् उन्नयन होता रहता है। उन्नयन के तहत प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में दूषित जल उपचार हेतु आधुनिकतम उन्नत तकनीकी आधारित फिल्टर प्रेस, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, मल्टीग्रेडेड फिल्टर, सेंड फिल्टर, रिवर्स ओसमोंसिस, एमईई, ड्रायर की स्थापना कर षून्य स्त्राव करने के साथ जल संसाधन का संरक्षण भी किया गया है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयनः

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन के तहत प्रमुख वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ईएसपी, बेग फिल्टर्स, स्क्रबर्स, डस्ट सप्रेशन, वॉटर स्प्रिंकलर्स आदि की स्थापना कर वायु प्रदूषण में कमी लायी गयी है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन :

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016 अप्रैल, 2016 से लागू हैं। प्रदेश में अभी तक 2713 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये है। इन नियमों के तहत् परिसंकटमय अपशिष्ट

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्ट के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर मे भस्मक तथा केप्टिव एस.एल.एफ. लगाकर अपशिष्टों के अपवहन की व्यवस्था की है।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा मार्च 2019 तक लगभग निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है:–

1.	**डायरेक्ट लेण्डफिल**	**67,446.29 मैट्रिक टन**
2.	**इंसिनरेबल**	**30,018.80 मैट्रिक टन**
3.	**लेण्डफिल आफ्टर ट्रीटमेंट**	**2,06,986.46 मैट्रिक टन**

उक्त सुविधा का समय–समय पर केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण निंयंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

निष्कर्ष :

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न नीतियाँ व उपाए लागू किये हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का निदान व उपचार से संबधित कई उपायों का भी उद्योगों द्वारा पालन किया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्त्मान स्थिति का विश्लेषण करने से दृष्टिगोचर होता है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नीतियाँ औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में काफी हद तक सफल रहीं हैं। आवश्यकता इस बात कि है कि औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग को वित्तीय लाभ से जोड़ने हेतु नए सुझाव दिए जाएं जिससे कि उद्योग अपशिष्ट का Reduce, Reuse, Recycle के लिए आत्म प्रेरित हो, न कि शासन की नीतियों के दबाव में ऐसा करे।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 10 July 2020

सन्दर्भ ग्रन्थ :

- सी. एस. आई. आर. कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (www.csirres.in)
- वार्षिक प्रतिवेदन (2018–19), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.mppcb.nic.in)
- वार्षिक प्रतिवेदन (2017–18), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.mppcb.nic.in)
- वार्षिक प्रतिवेदन (2016–17), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.mppcb.nic.in)
- वार्षिक प्रतिवेदन (2018–19), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.cpcb.nic.in)
- वार्षिक प्रतिवेदन (2017–18), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.cpcb.nic.in)
- वार्षिक प्रतिवेदन (2016–17), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.cpcb.nic.in)

Copyright @ 2020 Authors